प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 25-09-2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: हत्या के सनसनीखेज मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

खेत में पानी लगाने गए किसान की हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं कुल ₹60 हजार के अर्थदण्ड की सजा

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध (हत्या) के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना सिंधौली पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं **कुल 08 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया** तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-05, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.गुड्डी पत्नी रामसरन उर्फ बब्लू (निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, शाहजहाँपुर), 2.अरुण पुत्र बाबूराम (निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, शाहजहाँपुर), 3.धीरज पुत्र भयन्नू (निवासी रामपुरादास मुल्लापुर, थाना पसगवां, जिला खीरी) को धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शाहजहाँपुर पुलिस की निरंतर पैरवी से कुल 03 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, वादी पक्ष को दिलाया न्यायः-

दिनांक 01/05/2021 को वादी मुकदमा रामकिशन पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम सुहेली, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सिंधौली पर सूचना दी गई कि उनके भाई बबलू उर्फ रामसरन पुत्र पुत्तूलाल अपने गन्ने के खेत में पानी लगाने गए थे, जहाँ अभियुक्तगण द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। वादी की सूचना के आधार पर थाना सिंधौली पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक श्री जगनारायण (तत्कालीन थाना प्रभारी सिंधौली) द्वारा की गई। विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया । मा0 न्यायालय में विचारण के दौरान थाना सिंधौली पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 08 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया । परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-05 शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. गुड्डी पत्नी रामसरन उर्फ डब्लू (निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, शाहजहाँपुर), 2.अरुण पुत्र बाबूराम (निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, शाहजहाँपुर), 3.धीरज पुत्र भयन्नू (निवासी रामपुरादास मुल्लापुर, थाना पसगवां, जिला खीरी) को आजीवन कारावास एवं कुल 60 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

सजा प्राप्त अभियुक्तगण का विवरण

1. गुड्डी पत्नी रामसरन उर्फ डब्लू, निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
2. अरुण पुत्र बाबूराम, निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
3. धीरज पुत्र भयन्नू, निवासी रामपुरादास मुल्लापुर, थाना पसगवां, जनपद खीरी।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 181/2021, धारा 302/34 भादवि, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर। प्रकरण में अभियुक्त गण 1. गुड्डी 2. अरूण 3. धीरज पर वादी के भाई बब्लू उर्फ रामसरन की हत्या का आरोप था । प्रकरण में थाना सिंधौली पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 08 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अभियुक्तगण 1.गुड्डी पत्नी रामसरन उर्फ डब्लू (निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, शाहजहाँपुर),2.अरुण पुत्र बाबूराम (निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, शाहजहाँपुर),3.धीरज पुत्र भयन्नू (निवासी रामपुरादास मुल्लापुर, थाना पसगवां, जिला खीरी) को आजीवन कारावास एवं कुल 60 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।